न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 01/2024 विभागीय अपील

आदेश

दिनांक 27/05/2024

अपीलार्थीः- **श्री निर्भयराम धाकड, पटवारी विजयपुर, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़।**

प्रत्यर्थीः- **जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)**

अपील अंतर्गत नियम -23 सीसीए रूल्स-1958 विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2023 अंतर्गत नियम-17 राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1958

उक्त प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि श्री निर्भयराम धाकड, पटवारी विजयपुर, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 अंतर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रारंभ की जाकर ज्ञापन दिया जाकर निम्न आरोप आरोपित किये गये (अपीलीय निर्णय अनुसार) :-

आरोप-1 यह कि आप श्री निर्भयराम धाकड, तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल कश्मोर अतिरिक्त चार्ज पटवार मण्डल धनेतकलां, तहसील चित्तौड़गढ़ हाल पटवारी पटवार मण्डल विजयपुर, तहसील बस्सी जिला चित्तौड़गढ़। आप पटवार मण्डल कश्मोर पर दिनांक 29.07.2018 से दिनांक 14.08.2021 तक पदस्थापित रहे है। पदस्थापन अवधि के दौरान आपके पास पटवार मण्डल धनेतकलां का भी अतिरिक्त चार्ज रहा है। आप द्वारा पटवार मण्डल धनेतकलां के ग्राम डगला का खेडा के खातेदार गुणेशीबाई पत्नि भगवानलाल सालवी की विरासत का नामांतकरण संख्या 641 दर्ज किया जाकर निर्णित करवाया गया है। आप द्वारा उक्त नामांतकरण में गंभीर अनियमितता की जाकर उसे जानबूझ कर गलत दर्ज किया गया जो आपकी राजकार्य निर्वहन में उदासीनता तथा लापरवाही को दर्शाता है। अतः लापरवाही पूर्वक कार्य करने का दोषी पाया जाने आप पर यआरोप आरोपित किया जाता है। आपका उक्त कृत्य कर्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक है।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ ने पत्रावली पर आरोपित कर्मचारी (अपीलार्थी) के कथन, उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन व विचार पश्चात् आदेश दिनांक 22.09.2023 से अपीलार्थी को एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा-23 राजस्थान सिविल सेवा नियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ से संबंधित अभिलेख मय टिप्पणी प्राप्त किया गया। अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया दिनांक 20.05.2024 को अपीलार्थी स्वंय उपस्थित हुआ, जिस पर अपीलार्थी के पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्यों की ओर ध्यान आकृष्ट कर निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश में वर्णित नामांतरकरण पर पटवार हल्का चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी द्वारा ही वारिसान की रिपोर्ट मंगवाने के उपरांत भगवानलाल को फौत किये जाने का अभ्यर्थी का कोई मेलाफाईड इण्टेशन नही हो सकता। अत्यधिक राजकीय कार्यभार के कारण लिपीकीय त्रुटि मात्र थी। उक्त नामांतरकरण में किसी भी राजस्व नियम का उल्लघंन नहीं हुआ है और नहीं किसी पक्षकार का हित प्रभावित हुआ है। अपीलांट के पास पटवार मण्डल का चार्ज दिनांक 14.08.2021 तक रहा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त नामांतरकरण की जांच 17.08.2021 को की गयी एवं ग्राम पंचायत धनेतकला पंचायत कोरम दिनांक 20.09.2021 को विस्तृत विचार विमर्श उपरांत सर्व सम्मति से निर्णय किया गया। यहां यह उल्लेखित है कि विद्वान दण्डाधिकारी द्वारा ज्ञापन पत्र, आरोप पत्र, से संबंधित अभिकथन एवं निर्णय में अपीलांट द्वारा नामांतरकरण निर्णित करावया जाना आरोपित कर दण्डादेश पारित किया जो कतई स्वीकार नहीं है, अपीलांट का कार्यकाल ही 29.07.2018 से 14.08.2024 तक ही रहा ऐसी सुरत में जांच भू-अभिलेख निरीक्षक 18.08.2021 एवं पंचायत बैठक निर्णय 20.09.2021 में अपीलांट की उपस्थिति संभव नहीं है। इस प्रकार उक्त आदेश निरस्त योग्य होने से निष्प्रभावी फरमावें। श्रीमान से करबद्ध प्रार्थना है कि अभ्यर्थी का पूर्व का सेवाकाल स्वच्छ एवं बेदाग रहा है। अतः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ के दण्डादेश दिनांक 22.09.2023 को अपास्त फरमाया जाकर अपीलांट को सीसीए नियम 17 के अंतर्गत लगाये गये आरोप से उन्मोचित (मुक्त) फरमाया जावें।

जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील पर अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 22.09.2023 को विधि सम्मत होने का अंकन किया और

अपीलार्थीया के प्रस्तुत कथनों को अस्वीकार कर अपील निरस्त फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

अपीलार्थी की अपील, अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों, प्राप्त प्रत्युत्तर, अपीलार्थी के कथनों तथा पत्रावली का अध्ययन मनन किया गया। अपीलार्थी को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये गये है । अपीलार्थी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आरोपित शास्ति निरस्त करने के कारणों की ओर निम्नहस्ताक्षकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया, जिस पर मनन किया गया। यह प्रकट होता है कि अपचारी एक राज्य कर्मचारी होने के नाते अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन अति सजगता एवं जिम्मेदारी से किये जाने की अपेक्षा की जाती है, किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कार्य में लापरवाही बरती गई, जिससे जीवित व्यक्ति को स्वर्गीय शब्द से राजकीय रेकार्ड में दर्शाना जाने के कारण अपचारी कर्मचारी दोषी पाया गया, वे तथ्य जिनके आधार पर आदेश दिया गया था, सिद्ध किये जा चुके है एवं सिद्ध तथ्यों के आधार पर नियम-14(2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शास्ति के अनुरूप आदेश देने के लिए पर्याप्त औचित्य है। उक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्ध आरोपित आरोप पूर्णतः प्रमाणित होना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में किसी प्राकर का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 22.09.2023 यथावत रखा जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। आदेश की प्रति जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त,
उदयपुर